कार्यालय,
सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्याः– प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2015/965 लखनऊः दिनॉकः 14–5–2015

:–कार्यालय ज्ञाप–:

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली द्वारा शैक्षिक सत्र 2015–16 हेतु पाठ्यक्रम एवं प्रवेश क्षमता के अनुमोदन के उपरांत प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0 प्र0 लखनऊ से सम्बद्धता प्रदान किये जाने हेतु अध्यक्ष प्राविधिक शिक्षा परिषद की अध्यक्षता में दिनॉक 13/05/2015 को बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में सत्र 2015–16 में आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व से संचालित संस्थाओं का अनुमोदन विस्तार/पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता वृद्धि हेतु सत्र 2015–16 तक सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की उपरोक्त बैठक के मद–7 में संस्था के संबंध में निम्न तथ्यों को संज्ञान में लिया गया है :–

1– अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली द्वारा संस्था को प्रथम एवं द्वितीय पाली में सत्र 2013–14 हेतु सिविल इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम में 60 की प्रवेश क्षमता एवं मेकेनिकल इंजीनियरिंग (प्रोडक्शन) में 60 की प्रवेश क्षमता के साथ अनुमोदन विस्तार प्रदान किया गया है। सत्र 2013–14 में सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने हेतु आहूत बैठक दिनांक 15.05.2013 में लिये गये निर्णय के अनुसार प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा प्रथम पाली में उपरोक्त पाठ्यक्रमों में सम्बद्धता प्रदान की गयी है, परन्तु अध्यक्ष, प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 लखनऊ की अध्यक्षता में दिनांक 22–8–2012 को संपन्न हुई सम्बद्धता समिति की बैठक के मद–7 में लिये गयें निर्णय के क्रम में द्वितीय पाली में सम्बद्धता प्रदान नहीं की गयी है।

2– अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली द्वारा संस्था को प्रथम एवं द्वितीय पाली में सत्र 2014–15 हेतु सिविल इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम में 60 की प्रवेश क्षमता एवं मेकेनिकल इंजीनियरिंग (प्रोडक्शन) में 60 की प्रवेश क्षमता के साथ अनुमोदन विस्तार प्रदान किया गया है। सत्र 2014–15 में सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने हेतु आहूत बैठक दिनांक 13.05.2014 में लिये गये निर्णय के अनुसार प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा प्रथम पाली में उपरोक्त पाठ्यक्रमों में सम्बद्धता प्रदान की गयी है, परन्तु अध्यक्ष, प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 लखनऊ की अध्यक्षता में दिनांक 22–8–2012 को संपन्न हुई सम्बद्धता समिति की बैठक के मद–7 में लिये गये निर्णय के क्रम में द्वितीय पाली में सम्बद्धता प्रदान नहीं की गयी है।

3– अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली द्वारा संस्था को प्रथम एवं द्वितीय पाली में सत्र 2015–16 हेतु सिविल इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम में 60 की प्रवेश क्षमता एवं मेकेनिकल

इंजीनियरिंग (प्रोडक्शन) में 60 की प्रवेश क्षमता के साथ अनुमोदन विस्तार प्रदान किया गया है।

4– अध्यक्ष, प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 लखनऊ की अध्यक्षता में दिनांक 22–8–2012 को संपन्न हुई सम्बद्धता समिति की बैठक के मद–7 में लिये गयें निर्णय के कम में द्वितीय पाली में पाठ्यक्रम के संचालन हेतु संस्था का एक बैच प्रश्नगत पाठ्यक्रमों में पासआउट होना आवश्यक है, परन्तु संस्था का एक बैच अभी पासआउट नहीं हुआ है। अतः संस्थान की गुणवत्ता अप्रमाणित है।

5– अध्यक्ष, प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 लखनऊ की अध्यक्षता में दिनांक 22–8–2012 को संपन्न हुई सम्बद्धता समिति की बैठक के मद–7 में लिये गयें निर्णय के अनुरुप ही सत्र 2012–13, 2013–14 एवं 2014–15 में द्वितीय पाली के पाठ्यक्रमों के सम्बन्ध में सम्बद्धता विस्तार की कार्यवाही परिषद द्वारा की जाती रही है।

समिति द्वारा उपरोक्त तथ्यों के आलोक में प्रकरण पर सम्यक् विचारोपरांत निम्नलिखित निर्णय लिया गयाः–

"संस्था की स्थापना सत्र 2012–13 में की गई है। संस्था का एक बैच अभी पास आउट नहीं हुआ है। अतः संस्था की गुणवत्ता अप्रमाणित है। अतः द्वितीय पाली में डिप्लोमा पाठ्यक्रम (सिविल इंजी0 एवं मैकेनिकल इंजी0(प्रोड0) के संचालन की अनुमति प्रदान नहीं की जाती है।"

अतः सम्बद्धता समिति द्वारा लिये गये उक्त निर्णय के अनुसार निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0 प्र0 लखनऊ द्वारा सत्र 2015–16 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती हैः–

क्र0 सं0	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	सत्र 2014–15 हेतु परिषद द्वारा अनुमोदित प्रवेश क्षमता	सत्र 2015–16 हेतु परिषद द्वारा अनुमोदित प्रवेश क्षमता	अवधि
1	आई0आई0एम0टी0कालेज आफ पालीटेक्निक, गौतमबुद्धनगर। **(संस्था कोड– 570)**	सिविल इंजी0 इलेक्ट्रिकल इंजी0 मैकेनिकल इंजी0(मेंटी0) मैकेनिकलइंजी0(प्रोड0)	180 60 60 180	**180** 60 60 **180**	03 वर्ष 03 वर्ष 03 वर्ष 03 वर्ष

<u>सम्बद्धता हेतु शर्तें</u>

✓ संस्था ए0आई0सी0टी0ई0 द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।

✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवाली 1992 तथा अन्य निर्मित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मेसी पाठ्यक्रम सहित) हेतु रू0– 28,000.00/– प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों हेतु रू0– 20,000.00 शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया

जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्रों से शुल्क के सम्बन्ध में समय–समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होगें, और तद्नुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2015–2016 हेतु फीस का पुनर्निधारण किया जाता है। तो फीस की नवीनतम दरें लागू होंगी।

- ✓ संस्था को (उ0प्र0 प्राविधिक शिक्षा समितियॉ तथा उप समितियॉ, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना) विनियमावली–2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवंटित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा। सीटों के रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को समय–समय पर निर्गत शासनादेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को ए0आई0सी0टी0ई0 से आगामी सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाये गये विधि/नियमों/अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ0प्र0, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ0प्र0 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निदेशो का पालन करने के लिये बाध्य होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम की संस्थाएं यदि पी.सी.आई. नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असफल रहती है तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई वाद दायर किया जाता है तथा दायर वाद के संबंध में मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत नवीनतम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबवाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठिभूमि, स्टाफ, साज–सज्जा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण–प्रशिक्षण हेतु उपर्युक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ रैगिंग रोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।

(एस0 एन0 सिंह)
सचिव

पृ0सं0– प्राशिप/परिषद/2015/ 966–1345 **तद् दिनॉकः 14–5–2015**

प्रतिलिपिः–प्रधानाचार्य, आई0आई0एम0टी0कालेज आफ पालीटेक्निक, गौतमबुद्धनगर (संस्था कोड– 570)

(एस0 एन0 सिंह)
सचिव

D:\affiliation letter iimt second shift 2015.docx